भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2515
दिनांक 10 अगस्त 2026

राष्ट्रीय गैस ग्रिड और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना

2515 # **श्री मयंककुमार नायकः**

श्री मिथलेश कुमारः

श्री शंभू शरण पटेलः

श्रीमती माया नारोलियाः

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड और संबंधित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना के विकास की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में पाइपलाइन कनेक्टिविटी के विस्तार में कितनी प्रगति हासिल की गई है, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां पूर्व में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी;

(घ) क्या निर्माणाधीन पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और गैस-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास पर विस्तारित गैस पाइपलाइन नेटवर्क का अपेक्षित प्रभाव क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) विभिन्न संस्थाओं को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल) बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने और विस्तार करने हेतु प्राधिकरण प्रदान करने वाली प्राधिकृत संस्था है। मार्च 2026 तक, पीएनजीआरबी ने देशभर में लगभग 33,207 किलोमीटर की कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को अधिकृत किया है, ताकि एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड का निर्माण किया जा सके। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर, पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से आच्छादित हैं।

सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

देश में चल रहे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा अंतर राज्यीय संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए सरकार निरंतर समीक्षा करती है और संबंधित राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है, ताकि भूमि में उपभोग का अधिकार (आरओयू) प्राप्त करना, वन एवं पर्यावरणीय अनुमतियाँ लेना, नदियों, नहरों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि जैसी क्रॉसिंग्स के लिए स्वीकृतियाँ प्राप्त करना जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दिनाक 22.09.2021 को प्रारंभ किया गया है। यह प्रणाली हितधारकों को आवश्यक अनुमतियों एवं स्वीकृतियों की पहचान करने तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु एकल मंच प्रदान करती है। पाइपलाइन और सीजीडी अवसंरचना के विकास हेतु संस्थाएँ एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर अनुमतियों एवं स्वीकृतियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। अपनी मंजूरियों को जानें (केवाईए) मॉड्यूल में 32 केंद्रीय विभागों और 35 राज्यों के लिए मार्गदर्शन सम्मिलित है।

हाल ही में दिनांक 24.03.2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक व्यापक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य देशभर में विशेषकर सीजीडी हेतु पाइपलाइन अवसंरचना के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) एवं अनुमतियों के लिए एक समान रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें कठोर समयसीमाएँ निर्धारित की गई हैं, विलंब की स्थिति में अनुमतियों को स्वीकृत मानने का प्रावधान किया गया है तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, यह आदेश आवासीय एवं निजी क्षेत्रों में पहुँच संबंधी समस्याओं का समाधान करता है, जहाँ गैर भेदभावपूर्ण एवं समयबद्ध अनुमतियों को सुनिश्चित किया गया है, जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर किया जा सके।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के विस्तार ने सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, उद्योगों, विद्युत संयंत्रों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है। दिनांक 31.05.2026 तक, पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2013-14 में 22 लाख से बढ़कर वर्तमान में लगभग 170 लाख हो गई है, जबकि सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क वर्ष 2013-14 में 783 से बढ़कर वर्तमान में 8,900 से अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकृत संस्थाओं ने देशभर में 6,71,387 इंच किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है तथा अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समर्थन देने हेतु 22,256 औद्योगिक और 52,143 वाणिज्यिक कनेक्शन प्रदान किए हैं।

देशभर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के विस्तार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है, जिसने भारत की पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2014 में लगभग 138 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 188 एमएमएससीएमडी हो गई है। पाइपलाइन और सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के साथ, वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग (इसकी लागत प्रभावशीलता और कम उत्सर्जन के कारण) बढ़ रहा है। इसी प्रकार, वे उद्योग जो पहले फर्नेस ऑयल और डीज़ल पर निर्भर थे, अब क्रमिक रूप से प्राकृतिक गैस (मुख्यतः पाइप्ड नैचुरल गैस के रूप में) की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय गैस ग्रिड और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.2515 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत कॉमन कैरियर नेचुरल गैस पाइपलाइन (31.03.2026 तक)

क्र. सं.	**प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नाम**	**इकाई**	**प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)**	**जिन राज्यों से पाइपलाइन गुज़रती है**
1.	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	8	असम
2.	कावेरी बेसिन नेटवर्क	गेल	240	पुडुचेरी और तमिलनाडु
3.	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर-जीआरईपी (गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना)-दहेज-विजयपुर एचवीजे/वीडीपीएल	गेल	6,169	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड
4.	दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल)-विजयपुर-दादरी (जीआरईपी) अपग्रेडेशन डीवीपीएल 2 और वीडीपीएल			
5.	काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद (पूर्व पश्चिम पाइपलाइन)	पीआईएल	1,459	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक
6.	दहेज-उरण-पनवेल-दाभोल	गेल	920	गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
7.	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल	878	आंध्र प्रदेश
8.	गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	609	गुजरात
9.	अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	55	त्रिपुरा
10.	दादरी-पानीपत	आईओसीएल	132	हरियाणा और उत्तर प्रदेश
11.	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	129	महाराष्ट्र
12.	उरान-ट्रॉम्बे	ओएनजीसी	24	महाराष्ट्र
13.	उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	2,860	गुजरात
14.	हजीरा-अंकलेश्वर (HAPI)	जीजीएल	73	गुजरात
15.	कम दबाव वाला गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	58	गुजरात
16.	शहडोल-फूलपुर	आरजीपीएल	312	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
17.	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	एजीसीएल	105	असम

18.	दुकली-महाराजगंज	गेल	5.2	अगरतला
19.	उरण-तलोजा	डीएफपीसीएल	42	महाराष्ट्र
20.	चैनसा-झज्जर-हिसार	गेल	455	हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली
21.	दादरी-बवाना-नांगल	गेल	921	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश
22.	एन्नोर-नेल्लोर	जीटीआईएल	220	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
23.	काकीनाडा-विजयवाड़ा-नेल्लोर	आईएमसी	667	आंध्र प्रदेश
24.	कनाई - छाता - पानीतर	एचपीपीएल	317	पश्चिम बंगाल
25.	हजारीबाग-रांची	आईओसीएल	71	झारखंड
26.	गुरदासपुर-जम्मू	गेल	160	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पंजाब
27.	कोच्चि-कन्याकुमारी-थूथुकुडी	आईओसीएल	425	केरल, तमिलनाडु
28.	मेहसाणा भटिंडा	जीआईजीएल	1,943	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
29.	भटिंडा - गुरदासपुर	जीआईजीएल	261	पंजाब
30.	मल्लावरम - भोपाल - भीलवाड़ा - विजयपुर	जीआईटीएल	1,881	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
31.	दाभोल-बंगलौर	गेल	1,414	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
32.	कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलोर-मंगलोर	गेल	1,104	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
33.	एन्नोर-तूतीकोरिन	आईओसीएल	1,431	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
34.	जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो धामरा-पारादीप-बरौनी-गुवाहाटी	गेल	3,546	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम
35.	उत्तर-पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड	आईजीजीएल	1,688	असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, पश्चिम बंगाल
36.	मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा	गेल	1,755	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा
37.	श्रीकाकुलम-अंगुल	गेल	690	आंध्र प्रदेश, ओडिशा
कुल			**33027.2**	

स्रोत: पीएनजीआरबी

पाइपलाइन डेटा जवाबों में इस्तेमाल की गई शब्दावली/संक्षिप्त रूप

संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
एनजीपीएल	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
एमएमएससीएमडी	मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन
के.एम.	किलोमीटर
केन्द्र शासित प्रदेशों	केंद्र शासित प्रदेश
गेल	गेल (इंडिया) लिमिटेड
पीआईएल	पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
जीएसपीएल	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड
जीजीएल	गुजरात गैस लिमिटेड
आरजीपीएल	रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड
एजीसीएल	असम गैस कंपनी लिमिटेड
डीएफपीसीएल	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
